



मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर
(परीक्षा-अनुभाग)

// अधिसूचना //

क्रमांक- 70 / परीक्षा / सि.ज. / 2022

जबलपुर, दिनांक 10 / 05 / 2024

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022 की मुख्य परीक्षा दिनांक 30 एवं 31.03.2024 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम घोषित किया जा रहा है। साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर देखी जा सकती है। साक्षात्कार हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर अपलोड किये गये व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अनुप्रमाणन फार्म के प्रोफार्मा को डाउनलोड कर सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर, उनके साथ वांछित दस्तावेजों की नीचे दिये गये निर्देशानुसार स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के सेट संलग्न कर लिफाफे में रखकर, लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम व वर्ष आवश्यक रूप से लेख करें। उक्त लिफाफा रजिस्ट्रार (परीक्षा) को संबोधित करते हुए आवश्यक रूप से स्पीड पोस्ट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस प्रकार प्रेषित करें कि दिनांक 31.05.2024 तक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आवक शाखा (Inward Section) पिन कोड-482001 में प्राप्त हो जावें।


- (अ) व्यक्तिगत विवरण पत्रक - एक मूलप्रति एवं चार स्व-हस्ताक्षरित फोटो प्रतियां।
- (ब) अनुप्रमाणन फार्म - एक मूलप्रति एवं चार स्व-हस्ताक्षरित फोटो प्रतियां।
- (स) यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित हुई हो अथवा अभियोजन लंबित रहा था अथवा वर्तमान में लंबित है तो निर्णय अथवा अंतिम/अद्यतन आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि व चार स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियां व्यक्तिगत विवरण पत्रक के साथ संलग्न करें।

अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अनुप्रमाणन फार्म दिनांक 31.05.2024 की शाम 05:00 बजे तक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आवक शाखा (Inward Section) में प्राप्त नहीं होने की दशा में अथवा निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त होने की दशा में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तरदायी नहीं होगा और अभ्यर्थी की साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी, भले ही विलम्ब डाक विभाग की त्रुटि से या अन्य किसी भी कारण से हुआ हो।

साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थी, साक्षात्कार दिवस पर समस्त मूल दस्तावेज एवं मूल फोटो पहचान पत्र तथा निम्नलिखित स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों (दोनों ओर के पृष्ठों की छायाप्रति) के दो सेट प्रस्तुत करेंगे :-

- (1) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंक सूची।
- (2) स्नातक, स्नातकोत्तर, विधि एवं अन्य शैक्षणिक योग्यताओं की प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अंक सूची एवं उपाधियाँ (यदि प्राप्त हो चुकी हों, तो)।
- (3) फोटो पहचान प्रमाण पत्र जैसे :- मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक, शासकीय कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र।
- (4) शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)।
- (5) ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।

साक्षात्कार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर में आयोजित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र साक्षात्कार प्रारंभ होने की तिथि से लगभग सात दिवस पूर्व मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in से डाउनलोड कर प्रिंट ले सकेंगे तथा प्रवेश-पत्र पर अंकित तिथि एवं समय पर प्रवेश पत्र एवं सभी दस्तावेज लेकर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। साक्षात्कार में नियत दिनांक व समय पर अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी।


(संजय अग्रवाल)
रजिस्ट्रार (परीक्षा)



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

(Examination Cell)

Result of Civil Judge, Junior Division (Entry Level) Main Written Exam- 2022,
held on 30-03-2024 & 31-03-2024

Roll Number-wise List of Candidates, Found Successful for Viva Voce / Interview

The candidates belonging to the General and Other Backward Classes category must secure at least 50% marks and the candidates from the reserved category (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) must secure at least 45% marks in each paper and at least 50% in aggregate in the main examination.



S.No.	Roll No.	Name of Candidate	Cat.	PH
1	1001	PRIYA DARSHAN GOSWAMI	UR	No
2	1013	NUPUR GUPTA	UR	No
3	1025	MISHELL SOLANKI	UR	No
4	1031	ARPIT GUPTA	UR	No
5	1046	NANDINI PATEL	OBC	No
6	1055	OSHIN SINGH SOLANKI	UR	No
7	1080	MONIKA SAHU	OBC	No
8	1101	PRASHANT SINGH	UR	No
9	1132	RISHABH RAI	UR	No
10	1179	BHAVYA GUPTA	UR	No
11	1190	AANCHAL JAISWAL	OBC	No
12	1197	HITESH KUMAR VALEJA	UR	No
13	1233	SHUBHAM CHOUBEY	UR	No
14	1240	BHAMINI RATHI	UR	No
15	1259	ANSHUL SRIVASTAVA	UR	No
16	1261	ARPAN CHOUDHARY	OBC	No
17	1264	MEEMANSHA DUBEY	UR	No
18	1302	ANUSHKA SHARMA	UR	No
19	1328	RAHUL MISHRA	UR	No
20	1332	ANIMESH JAIN	UR	No
21	1333	AAKARSH MISHRA	UR	No
22	1334	JYOTI SINGH	UR	No
23	1336	ADITI SANODIYA	OBC	No
24	1342	SHALABH DEEP GOYAL	UR	No
25	1345	RIYA MANDHANYA	UR	No
26	1351	NIDHI RAJPUT	UR	No
27	1363	SHIVI JAIN	UR	No
28	1388	AKHIL PATHAK	UR	No
29	1392	SATYAM PANDEY	UR	No
30	1397	SAMIKSHA JAIN	UR	No
31	1414	POOJA AHIRWAR	SC	No

S.No.	Roll No.	Name of Candidate	Cat.	PH
32	1423	VIJAYDEEP INDRIYA	OBC	No
33	1425	KAVISH THAKUR	OBC	No
34	1443	DEVASHISH	UR	No
35	1444	JINI RAJPUT	UR	No
36	1447	TASHA PARMAR	UR	No
37	1457	DEVESH PANDEY	UR	No
38	1459	HARPREET KAUR PARIHAR	UR	No
39	1468	MANSI SINGH TOMAR	UR	No
40	1487	AYUSHI RAGHUWANSHI	UR	No
41	1505	ABHINANDAN JAIN	UR	No
42	1521	PARAG PARASHAR	UR	No
43	1526	MUSKAN KESHARWANI	UR	No
44	1531	MANSI JAIN	UR	No
45	1561	ADITI JAIN	UR	No
46	1568	MUSKAN ARORA	UR	No
47	1569	SIDDHARTH SINGH RAJPUROHIT	UR	No
48	1574	DHEERAJ KUMAR	UR	No
49	1576	DWIJ SINGH SENGAR	UR	No
50	1579	PAYAL JAIN	UR	No
51	1584	AYUSHI JAIN	UR	No
52	1589	GARIMA SINGH	UR	No
53	1593	SHUBHANSHU SONI	OBC	No
54	1620	GIRJESH SINGH BAGHEL	OBC	No
55	1625	LOVENISH JAGDHANE	SC	No
56	1637	AMAN SRIVASTAVA	UR	No
57	1642	ADITI GOUD	UR	No
58	1644	ISHWAR DAYAL PATEL	OBC	No
59	1646	MUSKAN MANSURI	OBC	No
60	1665	APURVA JAIN	UR	No
61	1670	MEENU KUSHWAHA	OBC	No
62	1675	ROHIT JAIN	UR	No
63	1681	KRITI TRIVEDI	UR	No
64	1697	DEEPESH AWASTHI	UR	No
65	1703	ARSHI KHAN	UR	No
66	1738	ANUSHKA PRAJAPATI	OBC	No
67	1747	NANDINI SHARMA	UR	No
68	1757	JAY GOYAL	UR	No
69	1810	MANSI JAIN	UR	No
70	1815	VISHAKHA GATWAR	UR	No
71	1829	NIKHIL BAREDIYA	SC	No
72	1854	RAMENDRA SINGH PATEL	UR	No
73	1864	KEERTI CHATURVEDI	UR	No
74	1874	ANSHUL GARG	UR	No
75	1886	VAIBHAVY	UR	No

[Handwritten Signature]
10.05.2024

S.No.	Roll No.	Name of Candidate	Cat.	PH
76	1887	ANKIT SINGH RAJPUT	OBC	No
77	1900	KRATIK BAGHEL	OBC	No

- Note:-
- 1 No other eligible candidate in U.R., O.B.C. & S.C. category could secure minimum qualifying marks to appear in interview.
 - 2 No eligible candidate in S.T. category & P.H. Category could secure minimum qualifying marks to appear in interview.
 - 3 In terms of advertisement, marks of main written examination will be disclosed only after issuance of final select list.
 - 4 Admit cards for interview shall be generated on the website of High Court of Madhya Pradesh and the candidate(s) who remains absent in Interview shall be treated disqualified for selection in terms of advertisement.
 - 5 This result will be subject to the outcome of the SMW (C) No (s). 2/2024 (IN RE: Recruitment of visually impaired in judicial services) pending before Hon'ble Supreme Court and WP Nos. 7848/2024, 7452/2024, 7450/2024 and 7472/2024 pending before Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.


10.05.2024
(Sanjay Agrawal)
Registrar (Exam)




मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर
(परीक्षा अनुभाग)
व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण-पत्रक

- नोट :- 1. इस प्रपत्र को आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पाइन्ट पेन से भरकर उसकी 04 छायाप्रतियां कराने के पश्चात प्रत्येक प्रति पर पृथक-पृथक हस्ताक्षर करें।
2. सभी प्रविष्टियां भरना अनिवार्य है, जहाँ लागू न हों वहाँ "अप्रयोज्य" अथवा "लागू नहीं" लिखें।

ऑनलाइन आवेदन क्रमांक	MPCJ								
रोल नम्बर									

1. विज्ञापन क्रमांक
2. आवेदित पद का नाम
3. विभाग का नाम
4. आवेदक का नाम
- हिन्दी में
- अंग्रेजी में
5. पिता/पति का नाम
6. क्या आपके पिता या पति या परिवार के अन्य सदस्य न्यायिक सेवा अथवा विधि व्यवसाय में हैं, यदि हाँ तो –
(अ) धारित पद –
- (ब) न्यायिक सेवा/विधि व्यवसाय का स्थान –
- राज्य –
- (ब) आवेदक से संबंध –

नवीनतम
पासपोर्ट साइज
कलर फोटो
चस्पा करें तथा
स्वहस्ताक्षरित
करें

7. जन्म दिनांक (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक	माह	वर्ष	शब्दों में
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. दिनांक 01.01.2024 को आयु वर्ष माह दिन

9. जन्म स्थान,
ग्राम/तहसील/जिला/राज्य

10. (अ) क्या आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी है ?

(ब) यदि हाँ तो आवेदक मध्य प्रदेश राज्य में कितने वर्षों से निवास कर रहा है ?

11. क्या आवेदक म.प्र. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, यदि हाँ तो जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम लिखें।

12. आवेदक का –
(अ) वर्तमान डाक का पता

पिन कोड

(ब) स्थायी पता

पिन कोड

(स) मूल निवास स्थानजिला.....
राज्य

13. क्या आपने विधि स्नातक तीन/पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की दशा में 70 % या अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी की दशा में 50 % या अधिक अंकों के साथ प्रथम प्रयास में (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 15150/2023 देवांश कौशिक बनाम् मध्यप्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 अनुसार) उत्तीर्ण की है ?

हाँ नहीं

यदि हाँ, तो विधि स्नातक के प्रत्येक सेमेस्टर/ट्रायमेस्टर/वर्ष की अंक सूचियों की (दोनों ओर के पृष्ठों की) स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

14. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण प्रमाण-पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

परीक्षा का स्तर	बोर्ड/वि.वि. का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/दिनांक	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	अभ्युक्तियाँ
हाईस्कूल/मेट्रिकुलेशन							
इंटरमीडिएट/हायर सेकण्डरी							
स्नातक							
एलएल. बी.							
अन्य							

यदि विश्वविद्यालय में अथवा मंडल में आपने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया हो तो अभ्युक्तियों के तहत जानकारी दें।

15. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहे हों, तो आवेदन करने की तारीख तक सभी पदों का पूर्ण विवरण दें।

पद का नाम	कार्यालय/संस्था/फर्म आदि का नाम व पता	नियुक्ति		कुल मासिक वेतन मंहगाई भत्ते सहित
		कब से	कब तक	

16. यदि आपने आयु सीमा में छूट चाही हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का उल्लेख करें।
17. क्या आप भारत के नागरिक हैं ?
18. (अ) क्या आप विवाहित हैं ?
- (ब) यदि हाँ, तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ अथवा पति हैं ?

(स) क्या आपकी दो से अधिक जीवित संतान हैं ?

(द) यदि हाँ तो अंतिम संतान के जन्म का दिनांक

(ड) क्या अंतिम संतानें जुड़वा हैं ?

19. क्या आपके विरुद्ध कभी कोई दांडिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में पंजीबद्ध/विचाराधीन है/हुआ है अथवा किसी न्यायालय/अधिकरण/पुलिस थाने से निराकृत हो चुका है ?

हाँ नहीं

(यदि "हाँ" तो उक्त मामले के अंतिम आदेश/निर्णय/अंतिम कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित मामले के अधिनियम, धारा, प्रकरण क्रमांक, दिनांक आदि की जानकारी दें एवं दस्तावेज संलग्न करें) –

प्रकरण क्रमांक /अपराध क्रमांक	अपराध की धारा	न्यायालय/आरक्षी केन्द्र/पुलिस थाने का नाम व जिला	निर्णय/आदेश का दिनांक	अन्य विवरण

20. क्या आपने व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022 हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 18.12.2023 तक कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया है ?

हाँ नहीं

यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरे देते हुए सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें अथवा लागू नहीं लिखिए :-

(अ) नामांकन क्रमांक और दिनांक –

(ब) बार कौंसिल का नाम –

(स) उच्च न्यायालय अधिवक्ता
संघ/जिला न्यायालय अधिवक्ता
संघ/तहसील अथवा तालुका
अधिवक्ता संघ का सदस्यता
क्रमांक एवं दिनांक क्रमांक
दिनांक.....

नोट:- जिला न्यायालय में प्रेक्टिस करने की दशा में संबंधित जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेक्टिस करने की दशा में, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा अथवा जहां अभ्यर्थी द्वारा प्रेक्टिस की जा रही हो, वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव द्वारा जारी "निरंतर प्रेक्टिस करने का प्रमाण पत्र" (Certificate of continuous practice) भी प्रस्तुत करना होगा।

21. यदि आप पूर्व में न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा(ओं) में सम्मिलित हुए हैं, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए अन्यथा "लागू नहीं" लेख करें -

स.क्र.	परीक्षा का नाम	राज्य का नाम	वर्ष	परिणाम	रिमार्क
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

22. आपको किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी प्राधिकरण
या संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी
परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दें।
23. आप अपने संबध में यदि कोई विशेष जानकारी जो
आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियों आदि
के संबध में देना चाहें तो संक्षेप में अंकित करें।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सम्पूर्ण एवं सही है। यदि कोई भी जानकारी असत्य और/अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जाकर मेरी अभ्यर्थिता निरस्त कि जा सकती है और मुझे पद से हटाया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

परिशिष्ट—एक

(देखिए पैरा 3 (क))

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी :

1. अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन अधीन नियोजन के लिये अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा ।
2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर गए हों (खात्मा), वापस ले लिये गये हों, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गयी हो या समझौता कर लिया गया हो ।
3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।

-
1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा कुलनाम (सरनेम) नाम
- उपनाम, यदि कोई हो (यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)
-

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

3.(क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य, जिसमें वह स्थित हो) (क)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख । (ख)

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहाँ आप पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहाँ आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों.

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम थाना तथा जिला, अथवा घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला-मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो,
(1)	(2)	(3)	(4)

5. पिता का —

(क) पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो(क)

(ख) वर्तमान डाक-पता(ख)
(यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए)

(ग) घर का स्थायी पता(ग)

(घ) व्यवसाय(घ)

(ड.) यदि किसी सेवा में हों तो उनका(ड.)
पदनाम तथा कार्यालय का पता
दीजिए.

6. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता –
- (क) पिता(क)
(ख) माता(ख)
(ग) पति/पत्नि(ग)
(घ) उम्मीदवार(घ)
(दो) पति/पत्नि का जन्म स्थान(दो)
-

7. (क) जन्म तारीख(क)
(ख) वर्तमान आयु(ख)
(ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के
समय आयु(ग)
-

8. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य(क)
जिसमें वह स्थित हो,
(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप(ख)
निवासी हैं.
-

9. (क) आपका धर्म(क)
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित(ख)
आदिम जाति के सदस्य हैं ? हाँ या नहीं में
उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर
हाँ में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए.
-

10. **शैक्षणिक अर्हताएँ :-**

वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो,

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा नाम (1)	प्रवेश की तारीख (2)	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख (3)	उत्तीर्ण परीक्षा (4)
--	------------------------	--	----------------------------

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए :-

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप (1)	अवधि से तक (2)	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता (3)	पिछली सेवा छोड़ने के कारण (4)
--	----------------------	--	-------------------------------------

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं ? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है ? क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है/आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है/उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है ?

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हों तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त, जहाँ लागू हो वहाँ निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे :-

(एक) अपराध/आरोप.

(दो) पुलिस थाने में पंजीयित.

(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम.

(चार) मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया.

(पांच) दिया गया दण्ड

(छः) क्या दोषमुक्त कर दिया गया ?

(सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था

(ग) क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य हैं, या उससे नियोजित रहे हैं ? यदि ऐसा हो, तो पूर्ण विशिष्टियां दें, जैसे संगम/संगठन का नाम, सदस्यता अथवा संबद्धता की कालावधि/अवधि/इत्यादि.

टिप्पणी :- अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें ।

.....
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीखस्थान.....

13. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी (1)
व्यक्तियों या दो निदेशियों (रेफरियों) के
नाम, जो आपको जानते हों,

(2)

.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है, मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हों, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा.

.....
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीखस्थान.....

पहचान प्रमाण-पत्र

(प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए)

- (एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी.
- (दो) संसद या राज्य विधान-मंडल का सदस्य.
- (तीन) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी.
- (चार) तहसीलदार या नायब/उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो.
- (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख.
- (छः) खण्ड विकास अधिकारी.
- (सात) पोस्ट मास्टर.
- (आठ) पंचायत निरीक्षक.

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नाम श्रीको पिछले
वर्षमाह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता
है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही हैं ।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : पदनाम या स्थिति.....
तथा पता

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम
- पदनाम और पूरा पता
- (दो) वह पद, जिसके लिए उम्मीदवार
- के संबंध में विचार किया जा रहा है
-
